दि. 12-6-2020,

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण के सुरक्षा संबंधी सरकारी कार्य में व्यस्त है।

आज साहब की पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 27-7-2020 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा टोंक
रा.वा. अधि. 53 RTA
बीरा / जगमाला
प.सं. 40/2017

दि. 27-7-2020

यह पत्रावली कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण विभिन्न बोर्ड रजमेर के आदेशानुसार आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान 3 वादी गण विद्याराम वादी प्रकरण को Not Press करने हेतु समय चाहते है। आगामी में समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 07-8-2020 को पेश हो।

Not press हेतु समय चाहते है।
27/7/20

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

दि. 7-8-2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी तथा वादी बीरा राम 3 वादी बीरा राम विद्याराम वाद को आगे नहीं चलाने तथा वाद को स्कीड करने हेतु वकील वादी ने विद्याराम वाद को नोटपेज किया है। अतः विद्याराम यह वाद वादी अ0 धा0 53 R.T Act का विपक्ष प्रतिवादीगण नोटपेज में चलने योग्य नहीं होने तथा खारिज योग्य होने से आदेश नोटपेज में खारिज किया जाता है। कार्यवाही से इजलास मुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जब रूसे कम हो।

बीरा
Not press
7/8/20

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:39:55 IST
Reason: SelfAttested